फाइल नं0– 3

(2018)4 एस 0 सी0 आर 0 260

मेसर्स गंगोत्री इण्टरप्राइजेज लिमिटेड

बनाम

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम एवं अन्य

बी(व्यवहार अपील संख्या 4017 सन् 2018) अप्रैल, 18, 2018

(न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल व आर 0 एफ 0 नारीमन)

मध्य प्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम 1983: सीसी धारा 2(डी)– अभिव्यक्ति ''निश्चित धन'' धारा 2(डी) में घटित होती हैं, में न केवल पहले से सुनिश्चित की गयी धनराशि शामिल होगी बल्कि वह राशि भी शामिल होगी जो कार्यवाही के दौरान सुनिश्चित की जा सकती है। धारा 4(3) (iii)– मध्यस्थता न्यायाधिकरण के सदस्य की योग्यता– विवाद के पक्ष का कोई कर्मचारी मध्यस्थ नहीं हो सकता। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य सम्बन्धित विभाग के अपने कर्मचारी को बतौर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं करेगा। इण्डियल आयल कार्पोरेशन लिमिटेड व अन्य बनाम राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (2009)8 एस 0 सी0 सी0 520: (2009)13 एस 0 सी0 आर 0 510– आश्रय लिया गया ई 0 केस ला रेफरेन्स (2009)13 एस 0 सी0 आर 0 510– आश्रय लिया गया व्यवहार अपील नम्बर 4017 प्रस्तर 4 व्यवहार अपीलीय क्षेत्राधिकार।

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की प्रधान पीठ जबलपुर द्वारा ए 0 सी0 नं0 71 सन् 2016 निर्णय व आदेश दिनांकित 15.12.2017 सौरभ मिश्रा,एएजी, जुगल किशोर गिल्डा पुरूषेन्द्र कुमार, एजी, नमन नागरथ, नीरज किशन कौल, पराग त्रिपाठी, कु0 किरन सूरी, वरिष्ठ अधिवक्तागण, हर्ष पराशर, जुबिन प्रसाद, अमन पाण्डेय, जी– जसदीप एस 0 ढिल्लन, प्रभात के0 चैरसिया, कु0 रेणुका साहू, जय सावला, अमर वरून, शान्तनु कृष्ण, कु0 अनुसुइया सालवान, ध्रुव मिश्रा, दिव्यांशु कुमार श्रीवास्तव, आकाश लाम्बा, वीरेन सिबल, विवेकानन्द बी0, विकास सूद, अपूर्व कुरूप, कु0 इशा मितल, डा0 हर्ष पाठक, कु0 श्वेता महाजन, मोहित चैबे, सिद्धार्थ शुक्ला, नीरज शेखर, एच अर्जुन गर्ग, मिश्रा सौरभ, श्रीधर पोटाराजू, सुधीर मिश्रा, प्रभात

कुमार, कु0 पेटल चन्दोक, कु0 अंकिता शर्मा, रिषभ, एम 0 आर 0 शमशाद, आदित्य समद्दर, बी0 एस 0 बेन्थिया, कु0 स्वरूपमा चतुर्वेदी, सौरभ एस 0 सिन्हा, आदित्य देव त्रिगुना, सुनील सिंह परिहार, मेसर्स एपी एण्ड जे चेम्बर्स, प्रफुल्ल कुमार बेहरा, मनीष के0 भारद्वाज, एस 0 एस 0 नेहरा, कु0 अनुराधा मिश्रा, कु0 वंशजा शुक्ला, वरूण मोहन, स्वास्तिक सिंह, मनीष यादव, कु0 स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी0 एन 0 दूबे, कु0 देविका गुलाटी, हितेन्द्र नाथ रथ, मयंक क्षीरसागर, पवेश जोशी, छवयू अम्बवानी (मेसर्स एपी एण्ड जे चेम्बर की तरफ से), बी0 के0 सतिजा, सुमित अत्री, के0 कृष्ण कुमार, हितेन्द्र नाथ रथ, निलवा बन्धोपाध्याय, राहुल पाण्डेय, अधिवक्तागण उपस्थित पक्षकारगण की तरफ से। न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

आदेश

1. अनुमति स्वीकृत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. हमारा ध्यान मध्य प्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम की धारा 2(डी) के तहत ''विवाद'' की परिभाषा की ओर आकर्षित किया गया है, जो इस प्रकार है –

''विवाद'' का अर्थ है रुपये के मूल्य पर सुनिश्चित धन का दावा निष्पादन से उत्पन्न किसी भी अन्तर से सम्बन्धित 50,000 या अधिक।''

या किसी कार्य अनुबन्ध या उसके भाग का गैर निष्पादन।

3. हम यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि 1983 की अधिनियम की धारा 2(डी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ''निश्चित धन'' में न केवल पहले से सुनिश्चित की गयी राशि शामिल होगी, बल्कि वह राशि भी शामिल होगी जो पक्षकारों के दावे/प्रतिदावे के आधार पर कार्यवाही के दौरान सुनिश्चित की जा सकती है।

4. हमारा ध्यान 1983 की अधिनियम की धारा 4(3)(iii) की ओर भी आकर्षित किया गया जो कानून की नीति एवं इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड और अन्य बनाम राजा ट्रांस्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (2009)8 एस0सी0सी0 520 एवं 1983 की अधिनियम की धारा 4(iii) की शर्तों के अनुरूप विवाद में किसी पक्ष का कोई कर्मचारी मध्यस्थ नहीं हो सकता।

"4, अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य एवं उनकी योग्यतायें–

(3) कोई भी व्यक्ति अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा–

(iii) वह है या रहा है– सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (2018)4 एस0सी0आर0

(अ) सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई या सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में राज्य सरकार की सेवा में मुख्य अभियन्ता, या

(ब) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड की सेवा में मुख्य अभियन्ता, या

(स) महालेखाकार कार्यालय मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उप महालेखाकार 5 वर्ष से कम की अवधि के लिए नहीं खण्ड 3 के मामलों में आपवादिक परिस्थितियों में राज्य सरकार निर्धारित न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि को 3 वर्ष तक शिथिल कर सकती है।

5. हम स्पष्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य अधिकरण के सदस्य के रूप में सम्बन्धित विभाग के कर्मचारी को नियुक्त नहीं करेगा, जिससे विवाद सम्बन्धित है।

6. अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

विशेष अनुमति याचिका (सी)....डी.नं0 10817/2018 एवं विशेष अनुमति याचिका (सी)....डी.नं0 12928/2018 विलम्ब क्षमा किया गया।

विशेष अनुमति याचिका का भी आज विशेष अनुमति याचिका (सी) नं0 6513/2018 में आज पारित आदेश के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

लम्बित प्रार्थना पत्र यदि कोई हो का भी निस्तारण किया जायेगा।

अपील निस्तारित।

Translated by:–
(Ratnesh Kumar Srivastava)
J. O. Code No.– 6095